कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ (ब्यावरा) म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/प्राशि./भर्ती/2026 राजगढ, दिनांक

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :–

SN	APPLICATION NUMBER	CONSOLIDATED RANK	NAME & F/H NAME	ADDRESS	ORIGINAL CATEGORY	SELECTED CATEGORY	ALLOTTED SCHOOL	DISTRICT
1	3412250704740	9408	RAVISHANKAR PRAJAPATI F/H Name- BALMUKUND PRAJAPATI	137 KUMHAR MOHALLA VILLAGE RENPLA POST BAKANI BAKANI JHALAWAR	UR	UR/X/OP	DISE-23300621521 Zirapur, GHSS MACHALPUR(6 to 12)	Rajgarh
2	3412250646518	12099	DILKUSH NAGAR F/H Name- BADRI LAL NAGAR	KHENJRA POST KAMKHERA TEH MANOHAR THANA MANOHAR THANA JHALAWAR	UR	UR/X/OP	DISE-23300523206 Khilchipur, GHSS PAPDEL(9 to 12)	Rajgarh
3	3412250647674	20420	RAMRATAN LOVEVANSHI F/H Name- PARMANAND	1 KHENJRA KAMKHEDA MANOHAR THANA JHALAWAR	UR	UR/X/OP	DISE-23300504207 Khilchipur, GHSS BHOJPUR(9 to 12)	Rajgarh
4	3402250721708	24016	AKASH SHARMA F/H Name- SHIVDAYAL SHARMA	WARD NO,11 STATION ROAD KAWAI KAWAI SALPURA ATRU BARAN	UR	UR/X/OP	DISE-23300227867 Biaora, GHS RAJGARH ROAD BIAORA(6 to 10)	Rajgarh
5	3412250725439	25289	ABHISHEK SHARMA F/H Name- MAHESH CHAND SHARMA	SHARMA MOHALLA KATARWADA KATARWADA BASWA DAUSA	UR	UR/X/OP	DISE-23300101703 Rajgarh, GHS BAGA(1 to 10)	Rajgarh
6	3412250721848	26133	DEVENDRA MALAV F/H Name- MADAN LAL MALAV	4 VILLAGE RUPPURA POST BALDRA ANTA BARAN	UR	UR/X/OP	DISE-23300531637 Khilchipur, GHSS EXCELLENCE KHILCHIPUR(9 to 12)	Rajgarh
7	3407250739763	26789	RAVINDRA SINGH F/H Name- KEHARI SINGH	VILLAGE KHERLI GADASIYA POST KHERLI GADASIYA TEHSIL BAYANA BHARATPUR BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23300227869 Biaora, GHSS GIRLS BIAORA(1 to 12)	Rajgarh
8	3402250709833	28633	LAKKI GURJAR F/H Name- MOHAN LAL	PATHEDA PATHEDA PATHEDA BARAN BARAN	UR	UR/X/OP	DISE-23300209008 Biaora, GHS GINDORHAT(9 to 10)	Rajgarh

9	3402250647205	28972	ASHWANI KUMAR F/H Name- SURESH KUMAR	1 GORDHANPURA GORDHANPURA BUHANA JHUNJHUNU	UR	UR/X/OP	DISE-23300138503 Rajgarh, GHSS GIRLS RAJGARH(6 to 12)	Rajgarh
10	3402250748149	29629	GOPAL SINGH F/H Name- NEMI CHAND	192 ARAUDA HANTRA NADBAI BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23300121411 Rajgarh, GHSS KAREDI(1 to 12)	Rajgarh
11	3403250666962	29638	LAVKUSH KUMAWAT F/H Name- PREM CHAND KUMAWAT	31 MOONDAKYA MOONDAKYA CHHABRA BARAN	UR	UR/X/OP	DISE-23300527903 Khilchipur, GHS SADIYA KUWAN(6 to 10)	Rajgarh
12	3406250747258	29640	MONU F/H Name- DOULAT RAM SAINI	TASAI TASAI TASAI KATHUMAR ALWAR	UR	UR/X/OP	DISE-23300217610 Biaora, GHSS MALAWAR(1 to 12)	Rajgarh
13	3412250747623	29944	PUSPENDRA KUMAR GURJAR F/H Name- MAHENDRA SINGH GURJAR	0 KANCHAN PATEL KA PURA RONSI NADOTI KARAULI	UR	UR/X/OP	DISE-23300621639 Zirapur, GHSS EXCELLENCE ZIRAPUR(1 to 12)	Rajgarh
14	3402250669312	35561	RASHMI KUMARI F/H Name- RAJSINGH	VILLAGE NAYA GAON POST NAYA GAON TEH ROOPWAS THANA ROOPWAS BHARATPUR	UR	UR/X/F	DISE-23300419270 Sarangpur, GHSS H SARANGPUR(6 to 12)	Rajgarh
15	3403250684348	40286	BHAVESH KUMAR SHARMA F/H Name- HUKAM CHAND SHARMA	0 VILLAGE PAREETA POST PAREETA TEHSIL KARAULI KARAULI	UR	UR/X/OP	DISE-23300414315 Sarangpur, GHSS EXCELLENCE SARANGPUR(6 to 12)	Rajgarh
16	3402250717208	40287	NISHA LODHI F/H Name- RAJESH KUMAR LODHI	WARD NUMBER 14 KAWAI SALPURA ATRU BARAN	UR	UR/X/F	DISE-23300120204 Rajgarh, GHS KEELKHEDA(6 to 10)	Rajgarh
17	3402250649491	44126	VIKRAM F/H Name- OMPRAKASH	VILL DHANAGARH POST CHICHANA DHANAGARH UCHAIN BHARATPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23300227927 Biaora, GHSS BOYS SUTHALIYA(1 to 12)	Rajgarh
18	3409250648301	64596	CHANDRABHAN SINGH YADAV F/H Name- MOHAN SINGH	171 GALI NO 05 MAHARANA PRATAP NAGAR CHHATARPUR CHT	OBC	OBC/X/OP	DISE-23300304609 Narsinghgarh, GHS BERASIYA(9 to 10)	Rajgarh
19	3404250687321	69644	DHANESHWARI KOLHE F/H Name- DILEEP KOLHE	WARD NO 11 KUMHARI MOHALLA TH WARASEONI WARASEONI BLG	OBC	OBC/X/F	DISE-23300300804 Narsinghgarh, GHS ANDALHEDA(6 to 10)	Rajgarh

20	3402250745111	79591	RAHUL VERMA F/H Name-SHIVNARAYAN VERMA	43 SHIVNAGAR PHASE III NEAR CHOURASIYA MANDIR BHANPUR HUZUR BHP	OBC	OBC/X/OP	DISE-23300317643 Narsinghgarh, GHSS KURAWAR(1 to 12)	Rajgarh

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजगढ़ में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजगढ़ में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजो की सूची निम्नानुसार हैः–

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज।

X. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र एवं CRR नंबर
XI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
XIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
XIV. अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट– 1)
XV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट– 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजो के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा ।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला में दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थि बाधित को छोडकर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग विद्यार्थी होगें,उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/ सहयोग करना होगा।

10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान क्रियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छ माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा । निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

Digitally signed by
SAVAN PATIDAR
Date: 31-08-2026
21:17:31

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़ म0प्र0

पृ. क्रमांक/स्थापना/प्राशि./भर्ती/2026 राजगढ, दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म0प्र0।
7. संभागायुक्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
9. कलेक्टर जिला राजगढ, मध्यप्रदेश।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ, म.प्र.।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला राजगढ, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ (म.प्र.) को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ़ म0प्र0